संख्या-13/2025/पी-81/अड़तीस-7-2025/ई-38-7099(99)/5/2025

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ : दिनांक-20 मार्च, 2025**

विषय-उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन/मानदेय/ सेवाशर्तों में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4885/ए-48/यूपीआरआरडीए/2025, दिनांक 24.01.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों को सर्विस प्रोवाइडर/आउटसोर्सिंग के माध्यम से आबद्ध किये जाने हेतु उनके मानदेय, योग्यता एवं सेवाशर्तों में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित तालिका एवं सेवाशर्तों के आधार पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	आउटसोर्स हेतु वर्तमान मानदेय (रू0 में)	आउटसोर्स हेतु प्रस्तावित मानदेय (रू0 में)	आउटसोर्स हेतु योग्यता
1	2	3	4	5	6
1	मुख्य अभियन्ता	1	100000	110000	1-बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। 2-सड़क निर्माण में 10 वर्ष एवं कुल 25 वर्ष का कार्य करने का अनुभव।
2	राज्य गुणवत्ता समन्वयक	1	70000	80000	1-बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। 2-सड़क निर्माण में 10 वर्ष एवं कुल 15 वर्ष का कार्य करने का अनुभव।
3	वरिष्ठ अभियन्ता(गुणवत्ता नियंत्रक)	2	70000	80000	1-बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। 2-सड़क निर्माण में 10 वर्ष एवं कुल 15 वर्ष का कार्य करने का अनुभव।
4	अधीक्षण अभियन्ता	1	-	80000	
5	राज्य तकनीकी अधिकारी	3	60000	70000	1-बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	(अधिशासी अभियन्ता के 02 पदों को सम्मिलित कर)				2-सड़क निर्माण में 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव।
6	आई0टी0 कोआर्डीनेटर	1	60000	70000	1- बीटेक इन कम्प्यूटर साईंस। 2- सम्बन्धित पद के समकक्ष 10 वर्ष का कार्य करने का अनुभव। **<u>अधिमानी अर्हता-</u>** शासकीय विभाग में कार्य करने का अनुभव।
7	वैयक्तिक सहायक	3	25000	35000	1-इण्टरमीडिएट। 2-आशुलेखन हिन्दी एवं अंग्रेजी में क्रमशः 100 एवं 80 शब्द प्रति मिनट 3- टंकण हेतु हिन्दी एवं अग्रेजी में क्रमशः 25 शब्द तथा 30 शब्द प्रति मिनट। 4- डोयेक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा सीसीसी प्रमाण पत्र। 5- सम्बन्धित पद के समकक्ष 05 वर्ष का कार्य करने का अनुभव। **<u>अधिमानी अर्हता-</u>** शासकीय विभाग में कार्य करने का अनुभव।
8	सूचना अधिकारी	1	-	30000	1- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। 2- डोयेक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ''ओ'' लेवल डिप्लोमा। 3- सम्बन्धित पद के समकक्ष 05 वर्ष का कार्य करने का अनुभव। **<u>अधिमानी अर्हता-</u>** शासकीय विभाग में कार्य करने का अनुभव।
9	लेखाकार	4	35000	45000	1- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि। 2- डोयेक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ''ओ'' लेवल डिप्लोमा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

					3- सम्बन्धित पद के समकक्ष 05 वर्ष का कार्य करने का अनुभव। **<u>अधिमानी अर्हता-</u>** शासकीय विभाग में कार्य करने का अनुभव।
10	एम0एण्डआई0 स्पेशलिस्ट	1	20000	40000	1-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से परास्नातक उपाधि। 2- डोयेक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ''ओ'' लेवल डिप्लोमा। 3- सम्बन्धित पद के समकक्ष 10 वर्ष का कार्य करने का अनुभव। **<u>अधिमानी अर्हता-</u>** शासकीय विभाग में कार्य करने का अनुभव।
11	विधि अधिकारी	1	-	50000	1- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि। 2- डोयेक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ''ओ'' लेवल डिप्लोमा। 3- सम्बन्धित पद के समकक्ष 05 वर्ष का कार्य करने का अनुभव। **<u>अधिमानी अर्हता-</u>** शासकीय विभाग में कार्य करने का अनुभव।
12	परामर्शी चार्टेट एकाउन्टेन्ट	2	60000	70000	1- चार्टेट एकाउन्टेन्ट की डिग्री। 2- सम्बन्धित पद के समकक्ष 05 वर्ष का कार्य करने का अनुभव। **<u>अधिमानी अर्हता-</u>** शासकीय विभाग में कार्य करने का अनुभव।
13	अनुसेवक	10	नियत वेतन/न्यूनत म मजदूरी अधिनियम-1948 के आधार पर समय समय पर संशोधनीय	15500	1-हाई स्कूल। 2- सम्बन्धित पद के समकक्ष 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **<u>अधिमानी अर्हता-</u>** शासकीय विभाग में कार्य करने का अनुभव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14	जीआईएस कन्सल्टेन्ट (जीआईएस नोडल अधिकारी के 01 पद को सम्मिलित करते हुए)	02	60000	60000	1-B.Tech in information Technology. 2-Post Graduation diploma in Remote Sensing & GIS. 3- सम्बन्धित पद के समकक्ष 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **<u>अधिमानी अर्हता-</u>** शासकीय विभाग में कार्य करने का अनुभव।
15	जीआईएस एनालिस्ट	2	40000	45000	1- M.Sc geology. 2-Post Graduation diploma in Remote Sensing & GIS 3- सम्बन्धित पद के समकक्ष 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **<u>अधिमानी अर्हता-</u>** शासकीय विभाग में कार्य करने का अनुभव।
16	कम्प्यूटर आपरेटर (कनिष्ठ सहायक के 01 पद को एवं कनिष्ठ लिपिक 03 पद को सम्मिलित करते हुए)	21	20000	30000	1-इण्टरमीडिएट। 2- डोयेक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा सीसीसी प्रमाण पत्र। 3- टंकण हेतु हिन्दी एवं अग्रेजी में क्रमशः 25 शब्द तथा 30 शब्द प्रति मिनट। 4- सम्बन्धित पद के समकक्ष 05 वर्ष का कार्य करने का अनुभव। **<u>अधिमानी अर्हता-</u>** शासकीय विभाग में कार्य करने का अनुभव।
17	कम्प्यूटर प्रोफेशनल	1	31000	40000	1- एम0सी0ए0। 2- सम्बन्धित पद के समकक्ष 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **<u>अधिमानी अर्हता-</u>** शासकीय विभाग में कार्य करने का अनुभव।
18	यंग सिविल इंजीनियर	4	40000	50000	सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री के साथ कैम्पस सेलेक्शन।
	कुल	**61**			

सेवाशर्तें:-

1. सारणी के क्रम संख्या-1 से 5 तक के पदों हेतु सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चयन हेतु सर्विस प्रोवाइडर/आउटसोर्स से लिए जाने की अधिकतम आयु 62 वर्ष एवं सेवा समाप्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहेगी। पद क्रमांक 1 पर अंकित मुख्य अभियन्ता के पद हेतु अधिकतम आयु 62 वर्ष एवं सेवा समाप्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष तथा पद क्रमांक 2 से 18 हेतु सर्विस प्रोवाइडर/आउटसोर्स में लिऐ जाने की अधिकतम आयु 45 वर्ष एवं सेवा समाप्ति की अधिकतम आयु 60 वर्ष रहेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में शासकीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चयन हेतु सर्विस प्रोवाइडर/आउटसोर्स पर चयन हेतु वेतन सेवानिवृत्ति का अन्तिम वेतन में पेंशन घटाकर (सेवानिवृत्ति का अन्तिम वेतन-पेंशन=मानदेय) का भुगतान किया जायेगा। यदि किसी शासकीय कार्मिक का अन्तिम वेतन-पेंशन=मानदेय अधिक होता है तो ऐसी दशा में उपर्युक्त प्रस्तर-4 में प्रस्तावित मानदेय के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा। यदि किसी शासकीय कार्मिक का अन्तिम वेतन-पेंशन=मानदेय कम होता है तो ऐसी दशा में सेवानिवृत्ति का अन्तिम वेतन में पेंशन घटाकर (सेवानिवृत्ति का अन्तिम वेतन-पेंशन=मानदेय) धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3. अभिकरण कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों को सर्विस प्रोवाइडर/आउटसोर्स के माध्यम से आबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में जेम पोर्टल/सर्विस प्रोवाइडर/आउटसोर्स विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा अभिकरण कार्यालय द्वारा कार्मिकों को आबद्ध किये जाने हेतु प्रथमतः प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने का प्रयास किया जायेगा। प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक उपलब्ध न होने की दशा में शासन की अनुमति से ही सर्विस प्रोवाइडर/आउटसोर्स के माध्यम से पदों को भरा जाय। शासन से अनुमति का प्रस्ताव संदर्भित करते समय अभिकरण द्वारा इस आशय के समर्थन में संगत अभिलेख भी उपलब्ध कराये जाने होगें कि उनके स्तर से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से पदों के भरे जाने का प्रयास किया गया है परन्तु प्रतिनियुक्ति के माध्यम से कार्मिक उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

4. जो पद स्थगित हैं उनके सापेक्ष शासन का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5. आउटसोर्सिंग/सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से पदों को भरे जाने विषयक निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

संख्याः-13/2025/पी-81/अड़तीस-7-2025/ई-38-7099(99)/5/2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

अजय कुमार मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।